719

नि.सहा. / स्वा.आयुक्त / 939
दिनांक 12/7/18

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांकः 1496/1097/2014/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त, 2014

प्रति,

(1) प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/
चिकित्सा शिक्षा विभाग

No. 2969 /P.S.Fin.(A)/ 18
Bhopal, Dated 11-7-18

(2) आयुक्त (स्वास्थ्य)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं/संचालक चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश भोपाल ।

पत्र क्र 1133 /नि.सहा./संचा. (अ.प्र.)
आवक दिनांक 12/07/18
जावक दिनांक 13/07/18

विषय - राज्य के बाहर/राज्य के अन्दर निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं के उपचार/परीक्षण हेतु नवीन मान्यता/मान्यता में वृद्धि संबंधी नीति ।

--•••--

शासकीय सेवकों के राज्य के बाहर तथा राज्य के अन्दर निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं को नवीन मान्यता/मान्यता में वृद्धि के अनुमोदन हेतु गठित समिति की अनुशंसा उपरान्त वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते हैं । अतः प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि मान्यता संबंधी समिति के द्वारा प्रस्ताव के परीक्षण में निम्नांकित सिद्धान्तों/तथ्यों के आधार पर विचार कर अनुशंसित प्रस्तावों को मान्य करने एवं तदनुसार आदेश जारी करने हेतु अधिकार संबंधित प्रशासकीय विभाग (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/चिकित्सा शिक्षा) को प्रत्यायोजित किए जायें ।

2/ उपर्युक्त प्रत्यायोजन के उपरान्त केवल ऐसे प्रस्ताव ही वित्त विभाग को भेजें जाएं जिनमें निर्धारित सिद्धान्तों से विचलन की स्थिति हो ।

3/ निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं को मान्यता के लिए निम्नांकित सिद्धान्तों/तथ्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाये :-

(1) निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं में उपचार/परीक्षण हेतु नवीन मान्यता/मान्यता में वृद्धि की अधिकतम अवधि 3 वर्ष अथवा नगर निगम की पंजीयन अवधि/अन्य वैधानिक पंजीयन अवधि जो भी पूर्व हो तक के लिये होगी ।

(2) राज्य के बाहर एवं राज्य के अन्दर ऐसे निजी चिकित्सालय द्वारा उसी दर से फीस/चार्जेस लिये जायेगें जो राज्य शासन द्वारा अनुमोदित हैं ।

(3) उन्ही बीमारियों/इलाज हेतु मान्यता दी जायेगी जो सुविधायें/इलाज राज्य के शासकीय अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है ।

(4) अनुमोदित दरें राज्य के अन्य अशासकीय चिकित्सालयों में उसी उपचार हेतु मान्य दरें हैं ।

Health Commissioner
for your reference please.
11/7

(PANKAJ AGARWAL)
Principal Secretary, Finance

(मनीष रस्तोगी)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन,वित्त विभाग

26 JUL 2018

Sunita/J

DD (M.R)
Dir (MR)
to ensure
OSD (MR)
13/07/18
13/7
13/7/18